भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1430

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

मुख्यमंत्रियों की बैठक

1430. श्री पी० कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोई बैठक की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस सबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (घ): केन्द्र सरकार विगत दो वर्षों और चालू वर्ष (26.11.2014 तक) के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ दो बैठकें आयोजित कर चुकी हैं। ये दोनों बैठकें दिनांक 16.04.2012 और 05.06.2013 को आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय गृह मंत्री ने संबंधित राज्यों के अपने दौरों के दौरान तथा संबंधित मुख्य मंत्रियों नई दिल्ली के दौरे के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ अनेक बैठकें की हैं।

इन बैठकों के दौरान, राज्य सरकारों ने मुख्य रुप से वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित विभिन्न सुरक्षा और विकास संबंधी हस्तक्षेप की मांग की है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1430

भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों में राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 101 बटालियनें तैनात की हैं। केन्द्र सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना जैसी स्कीमों के माध्यम से क्षमता निर्माण में राज्यों की सहायता भी करती है। केन्द्र सरकार ने विद्रोह एवं आतंकवाद-रोधी स्कूलों की स्थापना और इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन में भी राज्यों की सहायता की है। वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों में शामिल सुरक्षा बलों की हवाई सहायता हेतु हेलीकाप्टर भी उपलब्ध कराए गए हैं। केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए 'वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता' नामक योजना एक योजना भी कार्यान्वित कर रही है। इन क्षेत्रों में, मुख्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी सीधे योजना आयोग द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित आठ राज्यों में सड़क आवश्यकता योजना-I, जिसका कार्यान्वयन एवं निगरानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की जा रही है के अंतर्गत 3198 किमी (31.10.2014 तक) लम्बी सड़क के विकास का कार्य पूरा किया हो गया है।

(क) से (ड़) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****